



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



26 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 276 राँची, गुरुवार,

16 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-19/2017-21177 (HRMS)--श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक-320/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-630 दिनांक 02.03.2017 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-1412/मनरेगा, दिनांक 15.12.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मझिआँव प्रखंड अंतर्गत पंचायत सोनपुरवा में मनरेगा के तहत क्रियान्वित तीन योजनाओं में प्राक्कलित राशि के विरुद्ध अधिक राशि का भुगतान करने, मनरेगा श्रमिकों का डाकघर में अवस्थित खाता को बंद करते हुए बैंक में खाता खुलवाने में शिथिलता बरतने, मझिआँव प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरवा में मनरेगा के तहत तीन फर्जी योजनाओं में फर्जी तरीके से राशि की निकासी करने एवं अपूर्ण इंदिरा आवास योजना का कार्य पूर्ण कराने में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं0-420, दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-389, दिनांक 16.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1640, दिनांक-12.04.2023 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-505/स्था०, दिनांक 21.10.2022 द्वारा पूर्व में श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में गठित मंतव्य से इतर कोई अलग मंतव्य नहीं है ।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4192, दिनांक 24.07.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

श्री गुप्ता के पत्र, दिनांक 09.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों को उल्लेख किया गया-

(i) विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को संचालन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरांत आरोप मुक्त किया है ।

(ii) तीन मनरेगा योजनाओं में अधिकाय भुगतान के संबंध में प्रतिवेदित है कि उक्त योजनाओं के मूल अभिलेख इनको प्रदान नहीं किये गये, जबकि योजना अभिलेख में योजना क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण की सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज सन्निहित होते हैं। प्रश्नगत तीनों योजनाओं में अधिकाय भुगतान की जानकारी इनको दिनांक 27.09.2016 एवं दिनांक 31.10.2016 द्वारा पूछे गये पत्र के माध्यम से हुआ, जबकि दिनांक 26.08.2016 को इन्होंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव का पद त्याग कर दिये थे। प्रश्नगत योजनाओं में किसी भी तरह का अधिकाय भुगतान की खण्डन करते हैं। इसके लिये ये जिम्मेवार नहीं हैं ।

(iii) बिना आवश्यक मूल अभिलेख दस्तावेज के आधार पर आरोपित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है ।

(iv) माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए इनके द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत योजनाओं के क्रियान्वयन में इन्होंने 2nd Signatory के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से किये हैं ।

(v) तीन फर्जी योजनाओं में फर्जी तरीके से राशि निकासी किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत आरोप कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पर आधारित है, जिन्हें प्रश्नगत योजनाओं का अभिलेख अप्राप्त था। उक्त योजना क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर सभी संबंधितों द्वारा अपने-अपने पद के अनुसार निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में अपना हस्ताक्षर अंकित किया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त योजना अभिलेख का विधिवत प्राक्कलन तैयार किया गया है एवं उक्त योजना फर्जी नहीं थी एवं विधिवत योजना क्रियान्वयन की कार्रवाई की गई है।

(vi) जन सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मझिआँव द्वारा अपने प्रति हस्ताक्षर से विधिवत् उपलब्ध कराये गये अभिलेख दस्तावेज अवश्य ही समुचित साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, जिस पर किसी भी तरह के छेड़छाड़ की संभावना नहीं प्रतीत होती है। योजना (तालाब निर्माण सोनपुरवा) का अभिलेख जन सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक-84, दिनांक-04.07.2020 द्वारा अनुपलब्ध बताया गया है। अतः उक्त अभिलेख में किसी भी तरह के छेड़छाड़ की संभावना नहीं रह जाती है।

(vii) मो० 2.27 लाख रुपये जमा कराने के संबंध में प्रतिवेदित है कि अत्यंत ही दबाब एवं प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संभावित भय के कारण किया गया। जैसे ही इनको सरकारी क्षति के संभावित हनन से इनके पदानुक्रम पर भी असर की संभावना की जानकारी हुई, इन्होंने भविष्य के दृष्टिगत डर एवं दबाब में निदेशित राशि सरकारी कोष में जमा करा दिया।

(viii) अपने प्रथम पदस्थापन अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के रूप में अत्यंत ही निष्ठापूर्वक कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण एवं Good Faith में ही किया है, अतः वर्णित विवेचनाओं, न्याय निर्णयों एवं उपस्थापित साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपों से मुक्त करते हुए संपूर्ण विभागीय कार्यवाही को निरस्त की जाय।

श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि तीन फर्जी योजनाओं में फर्जी तरीके से राशि निकासी किये जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचिका में रक्षित अभिलेख से स्पष्ट है कि दो योजनाओं में फर्जी भुगतान का मामला नहीं बनता है एवं एक योजना में राशि के भुगतान पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा रोक लगाया गया था। साथ ही, मनरेगा की तीन योजनाओं में अधिकाय भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक-1147/ मनरेगा, दिनांक 27.09.2016 द्वारा दण्ड अधिरोपित की गई है। उक्त दण्ड मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप की गई है। तदालोक में श्री गुप्ता द्वारा नाजिर रसीद सं०-168247, दिनांक 29.10.2016 द्वारा 2,27,000/- रुपये की राशि जमा की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी से मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री नितीन शिवम गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित जाता है ।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITIN SHIVAM GUPTA 111003181689	श्री नितीन शिवम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
